

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—29/2020 (2020/00086) वादपत्र

अनवान

1. ख्यालीलाल पिता शंकरलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता शंकरलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धनराज पिता उदयराम सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मीना पुत्री उदयराम सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगीदेवी पत्नि उदयराम सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बदामदेवी पिता शंकरलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सोहन पिता गोपीलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 02.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 19.01.2021 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 586 में अकिंत आराजी संख्या 819 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 820 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 15.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।



## आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 819/1 रकबा 0.1050 है, आराजी संख्या 820/1 रकबा 0.0500 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.1550 है भूमि सोहन पिता गोपी खाती सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 819/2 रकबा 0.1050 है, आराजी संख्या 820/2 रकबा 0.0500 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.1550 है भूमि ख्यालीलाल भंवरलाल पिता शंकरलाल धनराज पिता उदयराम मीना पुत्री उदयराम मांगीदेवी पत्नि उदयराम बदामदेवी पत्नि स्व.शंकरलाल खाती सा. रायपुर खातेदार रहन बदस्तुतर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*[Signature]*  
02.02.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर:—29/2020 (2020/00086) वादपत्र

**अनवान**

1. ख्यालीलाल पिता शंकरलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता शंकरलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धनराज पिता उदयराम सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मीना पुत्री उदयराम सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगीदेवी पत्नि उदयराम सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बदामदेवी पिता शंकरलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1. सोहन पिता गोपीलाल सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


**प्रतीवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 819/1 रकबा 0.1050 है0, आराजी संख्या 820/1 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1550 है0 भूमि सोहन पिता गोपी खाती सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 819/2 रकबा 0.1050 है0, आराजी संख्या 820/2 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1550 है0 भूमि ख्यालीलाल भंवरलाल पिता शंकरलाल धनराज पिता उदयराम मीना पुत्री उदयराम मांगीदेवी पत्नि उदयराम बदामदेवी पत्नि स्व.शंकरलाल खाती सा. रायपुर खातेदार रहन बदस्तुतर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.02.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



  
02.02.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा